


न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका।
अर्जेंट वाद संख्या-09/2023 धारा 144द0प्र0स0
दुर्गा कोरवा वनाम नन्ह कुमार कोरवा वगैरह

आदेश

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date																
15/09/2023	023	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>यह वाद अंचल अधिकारी, चिनियों के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा ए० में</th> <th>उ०</th> <th>द०</th> <th>पू०</th> <th>प०</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चिनियों</td> <td>19</td> <td>864</td> <td>1.24</td> <td>रास्ता</td> <td>मंशी लोहरा</td> <td>प्रथम पक्ष</td> <td>बसुदेव यादव</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रथम पक्षकार कथन है कि वर्तमान हाल सर्वे में प्रश्नगत भूमि कईल कोरवा पिता राजाराम कोरवा के नामे खतियानी रैयत दर्ज है। इस खाता 19 के अर्न्तगत प्लॉट 864 में रकबा 1.24 एकड़ दर्ज है। कईल कोरवा खतियानी रैयत व करमु कोरवा भाई थे दोनो के पिता राजाराम कोरवा थे। ग्राम बेलरी उर्फ चिनियों का हाल सर्वे खतियान में करमु कोरवा पिता राजा राम कोरवा के नामे खाता 25 का है दाखिल है। यह स्पष्ट है कि कईल कोरवा व करमु के एक ही पिता थे। खतियानी रैयत कईल कोरवा की नावलद मृत्यु हो गई। कईल कोरवा के भतीजा 1. गोधल कोरवा प्रथम पक्ष क्र० 1. दुर्गा कोरवा के पिता तथा 2. बुटाई कोरवा प्रथम पक्ष क्र० 2 छोटे लाल कोरवा के पिता द्वारा सेवा किया एवं क्रिया क्रम भी किया गया। कईल कोरवा की सम्पति के ये दोनो अधिकार में आयें एवं दखल काबिज रहते हुए खेतिबारी 25 वर्षों से किए। इनके पुत्र प्रथम पक्ष भी जोत कोड में रहते एवं जो कोड करते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा सरकारी रसीद भी कटाते आ रहे हैं। वर्तमान हाल सर्वे के अनुसार यह भूमि प्रथम पक्ष के बाबा की है तथा इसी आधार पर मांग भी स्थापित है एवं रसीद निर्गत हो रही है। तथा प्रथम पक्ष 25 वर्षों से निर्विवाद रूप से दखल काबिज एवं जोत-कोड में चले आ रहे हैं। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.01.2023 को राजस्व अंचल निरीक्षक ने अपने जॉच में स्पष्ट किया है कि स्थल जॉच एवं राजस्व कागजातों का अवलोकन में पाया कि प्रश्नगत भूमि 20-25 वर्षों से प्रथम पक्षकार का कब्जा चला आ रहा है। अन्त में अनुरोध करते हैं कि वाद में जारी प्रारंभिक निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष से हटाते हुए निषेधाज्ञा द्वितिय पक्षकार के विरुद्ध आत्यातिक करने की कृपा की जाय।</p> <p>द्वितीय पक्षकार का कथन है कि वाद में वर्णित भूमि का पुराना खाता संख्या 124/36 प्लॉट संख्या 803/1377 रकबा 1.20 एकड़ भूमि कईल कोरवा, रामबदन कोरवा, नकु कोरवा तीनों भाईयों के नामे मौजा चिनियों के पुराना मांग पंजा ॥ के पृष्ठ संख्या 2/॥ पर चलता है तथा वर्तमान में भी कईल कोरवा के नामे हाल सर्वे में खतियान बना है। जिसका खाता संख्या 19 प्लॉट संख्या 864 रकबा 1.24 एकड़ दर्ज है। प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितिय पक्ष संख्या 2 शिवकुमार कोरवा पिता स्व० रामपति कोरवा 3. नन्हकु कोरवा पिता तपेश्वर कोरवा 4. सुरेश कोरवा पिता लटन कोरवा को उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है उक्त भूमि का एक मात्र उतराधिकारी नन्ह कुमार कोरवा है और शांतिपूर्ण रूप से दखल कब्जा में चले आ रहे हैं एवं अपने मन मोताबिक उपयोग करते चले आ रहे हैं अन्त में अनुरोध करते हैं कि उक्त वाद को खरीज करने की कृपा की जाए। धारा 144 द0प्र0स0 की समय अवधि समाप्त हो गई है इसलिए वाद की कार्यवाई की समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका। </p>	ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा ए० में	उ०	द०	पू०	प०	चिनियों	19	864	1.24	रास्ता	मंशी लोहरा	प्रथम पक्ष	बसुदेव यादव	
ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा ए० में	उ०	द०	पू०	प०												
चिनियों	19	864	1.24	रास्ता	मंशी लोहरा	प्रथम पक्ष	बसुदेव यादव												